न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : मृदुला शेखावत, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 23/2024

वादीगणः–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
शंकरलाल उर्फ शंकरसिंह पुत्र गंगाबिशन जाति विश्नोई निवासी ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर		1. पुखराज पुत्र तीलाराम 2. गुटीदेवी पत्नी मंगाराम 3. भेराराम पुत्र मंगाराम 4. सुखदेव पुत्र मंगाराम 5. रामलाल पुत्र मंगाराम 6. श्यामदेव पुत्र मंगाराम 7. हुकमप्रकाश पुत्र मंगाराम 8. सुरजा पुत्री मंगाराम 9. परसाराम गोदपुत्र कानाराम 10. ओमप्रकाश पुत्र मानाराम 11. परसाराम पुत्र मानाराम 12. भागीरथ पुत्र मानाराम 13. रामदीन पुत्र मानाराम 14. गेन्दीदेवी पुत्री मानाराम 15. पप्पूदेवी पुत्री मानाराम 16. हीरादेवी पुत्री मानाराम समस्त जातियान जाट निवासीगण ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,183,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–
1. श्री बी आर विश्नोई अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादी सं. 1 से 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी सं. 17– सरकारी पैरोकार।

दिनॉकः– 14/07/25

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खरीदसुदा एवं कब्जासुद खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम घाणामगरा की सरहद में स्थित है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 16 वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 के पड़ौसी है एवं प्रतिवादी संख्या 17 को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 137/1 पास–पडौस में स्थित है एवं उभय पक्षकारान अपने–अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि पर बतौर कब्जे काश्त में है, जिसकी ताईद में उक्त आराजी की राजस्व रेकर्ड की प्रति मय ट्रेस नक्शे के वाद पत्र के साथ पेश है।वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 के पूर्व–दक्षिणी दिशा में प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बिलाडा

संख्या 1 से 16 की कृषि भूमि स्थित है एवं राजस्व रेकर्ड में उभय पक्षकारान के मध्य तरमीम वगैरा मौके पर कब्जे काश्त व हक व हिस्से के अनुसार हो चुकी है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 16 आदतन अतिक्रमी है, जो प्रत्येक कृषि वर्ष में वादी की कृषि भूमि की मेड़बंदी व माठ को आंशिक रूप से खुर्द बुर्द करते हुए अतिक्रमण करते रहते है। वादी की तरमीमशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 की उतरी दिशा में आम रास्ता, दक्षिण व पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 से 16 का शामलाती खेत खसरा नम्बर 137/1 स्थित है एवं इसी क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 से 16 ने वादी के खेत की पूर्वी-दक्षिणी माठ को अस्थिर करते हुए करीब वादी की 1 बीघा भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर लिया एवं समझाईश के पश्चात् भी नही मान रहे है। जिसके लिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 17 के कार्यालय में माप व सीमांकन हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश कर सीमांकन आदेश वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के विरूद्ध दिनांक 15.05.2019 को जारी करवाया एवं आदेशानुसार प्रतिवादी संख्या 17 के अधीनस्थ कर्मचारियों ने मौके पर नाप चौप कर उभय पक्षकारान के मध्य स्थित माठ का मौके पर अन्तर दर्शाया एवं अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर बताया कि मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के कब्जे में वादी की करीब 1 बीघा भूमि का अतिक्रमण है एवं वादी की कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर पूर्वी माठ पर 27 गड्डा व उत्तरी माठ पर 104 गड्डा, दक्षिणी माठ पर 89 गड्डा व पश्चिमी माठ पर 27.4 गड्डा भूमि पर अतिक्रमण है. जिसका निस्तारण वादी के उतरी दिशा व पूर्वी व पश्चिमी माठ को 18 फीट कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 16 का अतिक्रमण मौके पर दिनांक 31. 05.2022 को पाया गया, जिसकी ताईद में प्रतिवादी संख्या 17 की मौका रिपोर्ट की प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। जिसके लिए उक्त वाद पत्र बाबत् बेदखली वादी की ओर से न्यायालय श्री के समक्ष पेश है। वाद पत्र के पद संख्या 1 से 3 में दर्शायी गयी कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 व 137/1 वादग्रस्त आराजी है। जिसे वादग्रस्त आराजी के नाम से आगे सम्बोधित किया जायेगा। वादी की खातेदारी की तरमीमसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 की पूर्वी व दक्षिणी माठ को प्रतिवादी संख्या 1 से 16 ने अस्थिर करते हुए विगत 5 वर्षो में विधि विरूद्ध रूप से करीब 1 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन कब्जा कर रख है, जिसे पुनः बतौर अतिक्रमी प्रतिवादी संख्या 1 से 16 को वादग्रस्त भू भाग मार्क अ.ब.स.द. से बेदखल कर वादी को पुनः उक्त आराजी 1 बीघा कृषि भूमि मार्क अ.ब.स.द. का कब्जा दिलाये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में जारी की जानी न्यायहित में आवश्यक है। वाद पत्र के साथ वादग्रस्त आराजी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 16 द्वारा जबरन विधि विरूद्ध किये गये अतिक्रमण के भू भाग मार्क अ.ब.स.द. के रूप में नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है। वादग्रस्त आराजी की पूर्वी दक्षिणी माठ को अस्थिर करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 16 ने करीब 1 बीघा भूमि मार्क अ.ब.स.द. पर जबरन अतिक्रमण दिनांक 09.05.2019 को कर लिया, जिसे वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 16 को समझाईश का प्रयास किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 16 ने वादग्रस्त आराजी पर आकर वादी को एलानिया धमकी दी कि खसरा नम्बर 137 का सम्पूर्ण भू भाग जबरन हड़प लेंगे एवं उक्त धमकी वादी को दिनांक 09.01. 2024 एलानिया रूप से वादग्रस्त आराजी पर आकर देने से वादी को वादकारण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 16 दिनांक 09.01.2024 को ग्राम घाणामगरा में उत्पन्न होने से उक्त वाद पत्र बाबत् जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा व विशेष व्यादेश की डिक्री जारी करने का न्यायालय श्री के समक्ष पेश करना पड़ रहा है।

अन्त में निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के विरूद्ध बेदखली की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम घाणामगरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 की पूर्वी व दक्षिणी माठ पर प्रतिवादी संख्या 1 से 16 द्वारा करीब 1 बीघा भूमि मार्क अ.ब.स.द. प्रतिवादी संख्या 1 से 16 को बेदखल किया जाकर उक्त आराजी का कब्जा वादी को पुनः सुपुर्द किये जाने की डिक्री सादिर फरमावे। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि भविष्य में प्रतिवादी संख्या 1 से 16 वादी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा

कलक्टर
ण्ड अधिकारी
लाड़ा

नम्बर 137 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी भविष्य में उत्पन्न नही करे। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के विरूद्ध विशेष व्यादेश की डिक्री जारी फरमावे कि वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 137 जो कि तरमीमयुदा है एवं उसकी माठ पूर्व व दक्षिणी दिशा की सीमा का भविष्य में अस्थिर नही करे। अन्य अनुतोष जो वादी न्यायहित में पाने का अधिकारी हो वादी के पक्ष में डिक्री सादिर फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी की ओर शंकरलाल उर्फ शंकरसिंह पुत्र गंगाबिशन द्वारा वादीगण साक्ष्य पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 2 खसरा नंबर 137 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 3 सीमांकन का फर्द नक्शा व रिपोर्ट, प्रदर्श 4 वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा, प्रदर्श 5 अन्तर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट 1956 के तहत पारित निर्णय आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 137 के वादी रेकर्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादी को पुरा अधिकार है। वादी द्वारा पूर्व अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके अन्तर्गत तहसीलदार बिलाडा से रिपोर्ट मंगवाई गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया हुआ कि खसरा नंबर 137 व 137/1 की माठ में 3 गट्ठा का अन्तर होना बताया। जिससे स्पष्ट तौर पर मालूम होता है कि वादी की वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में वादी रेकर्डेड खातेदार होने से वादग्रस्त आराजी में हक अधिकार निहित हो जाते है। इसलिए हम वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी को सुपुर्द करना विधिसंगत समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादी अंतर्गत धारा 92ए, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, बिलाडा को निर्देश दिए जाते हैं कि वह वादग्रस्त आराजी ग्राम घाणामगरा, तहसील- बिलाडा की खसरा संख्या 137 रकबा 1.0679 हैक्टयर प्रतिवादी सहित इनके वारिसान या नौकर-चाकर को मौके से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावें। इसी अनुरूप प्रकरण निर्णित किया जाकर डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा, पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बिलाडा, (जिला-जोधपुर)
सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/07/25 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बिलाडा, (जिला-जोधपुर)
सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

शंकरलाल — पुखराज वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 23/2024

निर्णय दिनांक :- 14/10/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बी आर विश्नोई वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 17 मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी पूनाराम का वाद बाबत् स्थायी निशेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि तहसीलदार, बिलाडा को निर्देश दिए जाते हैं कि वह वादग्रस्त आराजी ग्राम घाणामगरा, तहसील- बिलाडा की खसरा संख्या 137 रकबा 1.0679 हैक्टयर प्रतिवादी सहित इनके वारिसान या नौकर-चाकर को मौके से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावें। इसी अनुरूप प्रकरण निर्णित किया जाकर डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा, पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा — सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व षरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा — सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा